एग्री मैगज़ीन
(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 04 (अप्रैल, 2025)
www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

फसल बीमा: किसानों को जोखिम से बचाने में कैसे मदद करता है?

डॉ. हरकेश कुमार बलाई[1], श्वेता राज[2], *सूरज सिंह[2], सुधांशु रंजन[2] एवं प्रसन्न पाटीदार[2]
[1]सहायक प्राध्यापक, कृषि संकाय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत
[2]छात्र, बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि, कृषि संकाय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: surajsingh34562@gmail.com

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। हालांकि, प्राकृतिक आपदाएं, कीट संक्रमण, जलवायु परिवर्तन और अन्य जोखिम फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे परिदृश्य में, फसल बीमा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो किसानों को उनके फसल नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करता है। यह लेख फसल बीमा की आवश्यकता और उद्देश्यों का विश्लेषण करता है, जिसमें इसकी भूमिका किसानों की आय सुरक्षा, कृषि में स्थिरता बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में स्पष्ट होती है। सरकार द्वारा लागू योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), किसानों को सुलभ और किफायती बीमा विकल्प प्रदान करती हैं। इसके अलावा, यह अध्ययन कृषि क्षेत्र में बीमा के प्रभाव और किसानों की भागीदारी को समझने का प्रयास करता है, जिससे कृषि में नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। अतः फसल बीमा न केवल किसानों को जोखिम से बचाने का साधन है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र की समग्र उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करने में सहायक है।

मुख्य शब्द (Keywords): फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), कृषि जोखिम, किसान सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृषि अर्थव्यवस्था, बीमा योजनाएँ, कृषि स्थिरता, फसल क्षति, आर्थिक संरक्षण।

परिचय

भारत में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का एक मजबूत आधार है, लेकिन यह कई तरह के जोखिमों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक आपदाएँ, कीटों का हमला और बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव किसानों के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन समस्याओं से निपटने और किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए फसल बीमा एक कारगर समाधान के रूप में उभरा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों का भारत की जीडीपी में 18.8% योगदान है। पिछले पाँच वर्षों में, इस क्षेत्र की औसतन 4.18% वार्षिक वृद्धि हुई है, जो इसके विकास और मजबूती को दर्शाता है। वहीं, 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 3322.98 लाख टन तक पहुँच गया। इसमें चावल का उत्पादन 1378.25 लाख टन और गेहूँ का उत्पादन 1132.92 लाख टन रहा। हालाँकि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएँ, कीटों के हमले और बाजार में कीमतों में बदलाव जैसी समस्याएँ उनके लिए आर्थिक अस्थिरता का कारण बनती हैं। ये जोखिम अक्सर अचानक आते हैं और किसानों की आय को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार, इन चुनौतियों की वजह से किसानों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे जोखिमों से बचाने के लिए फसल बीमा एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और अन्य अनिश्चित घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। फसल बीमा न केवल उनकी आय को स्थिर बनाए रखता है, बल्कि उन्हें कृषि में नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार होता है।

फसल बीमा क्यों आवश्यक है?

- **प्राकृतिक आपदाओं से बचाव:** सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूकंप और असमय बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएँ किसानों की फसलों को नष्ट कर सकती हैं। फसल बीमा इन नुकसानों की भरपाई करता है, जिससे किसान आर्थिक रूप से

सुरक्षित रहते हैं। *उदाहरण: 2023 में महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भारी बारिश से फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन बीमा से किसानों को आर्थिक सहायता मिली।*

- **कीट और रोगों से नुकसान की भरपाई:** कीट और फसल रोग कभी-कभी पूरे खेत को बर्बाद कर सकते हैं। बीमा योजना इन नुकसानों को कवर करके किसानों को राहत प्रदान करती है। *उदाहरण: पंजाब में टिड्डी दल हमले से कई किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन बीमा योजना ने उनकी भरपाई की।*
- **कर्ज के जाल से बचाव:** अचानक फसल खराब होने पर किसान साहूकारों से उधार लेने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे वे कर्ज के जाल में फँस जाते हैं। बीमा योजना उन्हें वित्तीय स्थिरता देती है और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करती है।
- **कृषि में निवेश बढ़ाने की प्रेरणा:** यदि किसान सुरक्षित हैं, तो वे अधिक फसल उगाने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रहती हैं।

भारत में फसल बीमा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास

भारत में फसल बीमा की अवधारणा लगभग एक सदी पुरानी है। इसने समय के साथ कई बदलावों और सुधारों को देखा है, जिससे यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा तंत्र बन गया है। शोध पत्र में इसके ऐतिहासिक विकास को विस्तार से बताया गया है, जो निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

- **प्रारंभिक चरण (1915 – 1970)**

1915: मैसूर राज्य के श्री जे. एस. चक्रवर्ती ने पहली बार वर्षा बीमा योजना (Rain Insurance Scheme) का प्रस्ताव दिया। इसका उद्देश्य किसानों को सूखे से होने वाले नुकसान से बचाना था।

1920: उन्होंने Mysore Economic Journal में इस योजना पर शोधपत्र प्रकाशित किया और "Agricultural Insurance: Practical Scheme suited to Indian Conditions" नामक पुस्तक लिखी।

1947: स्वतंत्रता के बाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय खाद्य और कृषि मंत्री थे, ने फसल बीमा और पशु बीमा की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष शोध की घोषणा की।

1947-48: कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा की दो पद्धतियाँ प्रस्तावित कीं:

व्यक्तिगत दृष्टिकोण (Individual Approach): प्रत्येक किसान की व्यक्तिगत क्षति का आकलन करके बीमा राशि दी जाए।

समरूप क्षेत्र दृष्टिकोण (Homogeneous Area Approach): एक निश्चित क्षेत्र में फसल के औसत उत्पादन को आधार बनाकर बीमा योजना लागू की जाए।

1950-60 के दशक: राज्यों में इस योजना को लागू करने के प्रयास किए गए, लेकिन भरोसेमंद आंकड़ों की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण इसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली।

- **प्रयोगात्मक और पायलट चरण (1970 – 1985)**

1972-73: भारत में पहली व्यावहारिक फसल बीमा योजना गुजरात राज्य में LIC (जीवन बीमा निगम) के जनरल इंश्योरेंस विभाग द्वारा शुरू की गई। यह योजना H-4 कपास की फसल के लिए थी।

1979: जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (GIC) ने 'पायलट फसल बीमा योजना' (PCIS) शुरू की, जिसमें 13 राज्यों के 6.27 लाख किसानों को शामिल किया गया।

इस योजना में राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों के बीच 2:1 के अनुपात में जोखिम साझा किया गया।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और सुधार (1985 – 2016)

1985: सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (Modified National Agricultural Insurance Scheme – MNAIS) लागू की, जो सभी फसलों को कवर करने के लिए बनाई गई थी।

1999: राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) शुरू हुई, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन) से नुकसान की भरपाई की गई।

2007: मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) शुरू की गई, जो मौसम डेटा (जैसे वर्षा, तापमान) के आधार पर फसल क्षति का आकलन करती थी।

2013: संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को फिर से लॉन्च किया गया, जिसमें तकनीकी सुधार किए गए और किसानों को कम प्रीमियम पर अधिक कवरेज दिया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वर्तमान चरण (2016 – वर्तमान)

2016: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की गई, जिसने NAIS और MNAIS को प्रतिस्थापित कर दिया।

फसल बीमा क्या है?

फसल बीमा एक व्यापक उपज-आधारित सुरक्षा योजना है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और उत्पादन संबंधी समस्याओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। यह चक्रवाती बारिश, सूखा और अन्य जलवायु अस्थिरताओं के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है, जिससे बुवाई से पहले और कटाई के बाद की क्षति को भी शामिल किया जाता है।
इन चुनौतियों के कारण फसल उत्पादन में गिरावट होती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत में यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के रूप में लागू की गई है, जो किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है और उन्हें वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सहायता करती है।

भारत का प्रमुख फसल बीमा योजना

➢ **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)**

18 फरवरी 2016 को शुरू की गई "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है। PMFBY का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं (ओलावृष्टि, सूखा, अकाल), कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। PMFBY सभी भारतीय किसानों को लागत प्रभावी प्रीमियम पर फसल बीमा प्रदान करता है। PMFBY एक किफायती फसल बीमा उत्पाद है जिसे बीमा कंपनियों और बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना में 50 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं और 50 से अधिक विभिन्न फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है।

➢ **उद्देश्य**

- अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति या हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करना।
- किसानों की आय को स्थिर करना तथा खेती की निरंतरता सुनिश्चित करना।
- किसानों को आधुनिक एवं नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- फसल विविधीकरण और किसानों की ऋण-पात्रता सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाना।

➢ **फ़ायदे**

- **वहनीय प्रीमियम:** खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% होगा। रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए यह 1.5% है और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए यह 5% होगा। शेष प्रीमियम पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

*पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए भी सरकार संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान करती है।

- **व्यापक कवरेज:** इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़), कीटों और बीमारियों को शामिल किया गया है। ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसे स्थानीय जोखिमों के कारण फसल के बाद होने वाले नुकसान को भी इसमें शामिल किया गया है।
- **समय पर मुआवजा:** पीएमएफबीवाई का उद्देश्य फसल कटाई के दो महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में फंसने से बच सकें।
- **प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यान्वयन:** पीएमएफबीवाई फसल हानि के सटीक आकलन के लिए उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करती है, जिससे सटीक दावा निपटान सुनिश्चित होता है।

➢ **कवर किए गए जोखिम**

- **उपज हानि (खड़ी फसलें):** सरकार यह बीमा कवरेज उन उपज हानियों के लिए प्रदान करती है जो गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के अंतर्गत आती हैं, जैसे प्राकृतिक आग और बिजली: तूफान, ओलावृष्टि, बवंडर आदि: बाढ़, जलप्लावन और भूस्खलन; कीट/रोग, आदि; सूखा आदि।
- **रोकी गई बुवाई:** ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, जहां अधिसूचित क्षेत्रों के अधिकांश किसान (बीमित) रोपण या बुवाई करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में, उन्हें उस कारण के लिए खर्च वहन करना पड़ता है और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उन्हें बीमित फसलों को बोने या बुवाई करने से रोक दिया जाता है। ये किसान तब बीमा राशि के अधिकतम 25% तक के क्षतिपूर्ति दावों के लिए पात्र हो जाते हैं।

- **फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान:** सरकार व्यक्तिगत खेत के आधार पर फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए प्रावधान करती है। सरकार उन फसलों के लिए कटाई से 14 दिन (अधिकतम) तक का कवरेज प्रदान करती है जो "कटी हुई और फैली हुई" स्थिति में संग्रहीत की जाती हैं। इसका मतलब है कि सरकार उन किसानों को कवर करती है जिन्होंने फसल कटाई के बाद उसे खेत में धूप में पकने के लिए छोड़ दिया है जो देश भर में आए चक्रवात या चक्रवाती बारिश के कारण नष्ट हो गई हैं।
- **स्थानीय आपदाएँ:** सरकार प्रत्येक खेत के आधार पर स्थानीय आपदाओं के लिए प्रावधान करती है। अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग खेतों को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ जैसे पहचाने गए स्थानीय खतरों से होने वाले नुकसान या क्षति जैसे जोखिम इस कवरेज के अंतर्गत आते हैं।

चुनौतियाँ और समाधान

- **जागरूकता की कमी:** कई किसान फसल बीमा योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे वे इनका लाभ नहीं उठा पाते। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इन अभियानों के माध्यम से किसानों को फसल बीमा के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और दावों के निपटान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम और सूचना सामग्री उपलब्ध कराना भी प्रभावी हो सकता है।
- **बीमा दावों के निपटान में देरी:** किसानों को अक्सर बीमा दावों के निपटान में विलंब का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से फसल नुकसान का शीघ्र और सटीक आकलन किया जा सकता है, जिससे दावों का त्वरित निपटान संभव हो सके। इसके अलावा, एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना से दावों की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाया जा सकता है।
- **बीमा कवरेज की सीमित पहुँच:** कई छोटे और सीमांत किसान फसल बीमा योजनाओं की पहुँच से बाहर हैं, जिससे वे जोखिम में बने रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को बीमा योजनाओं की पहुँच को व्यापक बनाना चाहिए, ताकि सभी किसान इनका लाभ उठा सकें।
- **बीमा प्रीमियम की उच्च लागत:** कुछ किसानों के लिए बीमा प्रीमियम की लागत अधिक होती है, जिससे वे बीमा कराने से हिचकिचाते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक किसान फसल बीमा का लाभ उठा सके।

निष्कर्ष

भारत में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन यह प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों से घिरा रहता है। इन जोखिमों के प्रबंधन और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फसल बीमा एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसे सरकारी प्रयासों ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, जागरूकता की कमी, दावों के निपटान में देरी, सीमित कवरेज और उच्च प्रीमियम जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, व्यापक जागरूकता अभियानों, प्रौद्योगिकी के उपयोग, बीमा कवरेज का विस्तार और प्रीमियम सब्सिडी जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। इन प्रयासों से किसानों की आय स्थिर होगी, वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, और कृषि क्षेत्र की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी।

संदर्भ

1. सिंह, आर. पी. एवं यादव, वी. के. (2022)। भारत में फसल बीमा: एक अध्ययन। *जर्नल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट*, 14(13), XX-XX। आईएसएसएन: 2230-9578.
2. श्रुति मिश्रा और विकास वर्मा (2023)। फसल बीमा और भारतीय कृषि में इसकी भूमिका: एक व्यापक समीक्षा। *बायोलॉजिकल फोरम - एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल*, 15(10): 624-630।